मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना के नियम - 2010
(01 अप्रैल, 2010 से लागू)

आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
2010

उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिये विद्यार्थियों हेतु डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना के नियम (01 अप्रैल, 2010 से लागू)

1. **नाम :** यह नियम ''डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना के नियम'' कहलायेंगे ।

2. **उद्‌देश्य :** इस योजना का उद्‌देश्य प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है ।

3. **योजना का क्षेत्र :** इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक उपाधि हेतु संचालित पाठ्‌यक्रम सम्मिलित माने जायेंगे । उपरोक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा, अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित अधिसूचित पाठ्‌यक्रम भी योजना में सम्मिलित माने जायेंगे।

4. **पात्रता एवं छात्रवृत्ति की अवधि :** इस योजना में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12 वीं परीक्षा में कृषि, विज्ञान, वाणिज्य तथा कला संकाय में क्रमशः प्रथम 500, 2500, 1000 तथा 1000 तक स्थान पाने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों एवं जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 3,00,000 से कम है, को स्नातक उपाधि की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जायेगी । इसके अतिरिक्त इनमें जो विद्यार्थी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के हैं, उन्हें समान पाठ्‌यक्रमों में शासकीय संस्थाओं में देय सीमा तक शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जायेगी । ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अन्य छात्रवृत्तियों की पात्रता है उन्हें प्रथमतः वह छात्रवृत्ति दी जायेगी। परंतु उन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ, उक्त छात्रवृत्ति एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना की राशि के मध्य अंतर की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा। वार्षिक आय के संबंध में योजना के नियमों के अनुसार दिया गया प्रमाण–पत्र मान्य होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम होने के विषय में प्रमाणपत्र, संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा।

5. **छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की दरें** : इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की दरें भारत सरकार, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये बनाये गये नियमों यथा नियम 5 (i) एवं नियम 5 (iii) में उल्लेखित दरों के अनुसार देय होंगी। परन्तु इस योजना के अंतर्गत विकलांगता, शैक्षणिक दौरों एवं टाईपिंग/मुद्रण हेतु पृथक से कोई अनुदान/सहायता देय नहीं होगी । शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि राज्य शासन के कालेजों से उक्त पाठ्यक्रमों हेतु देय शुल्क तक सीमित होगी। शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार पर की जायेगी। जिन महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम से संबंधित पूरा शिक्षण शुल्क एकमुश्त पाठ्यक्रम के प्रारंभिक वर्ष में ही विद्यार्थी को भुगतान करना होता है, उन प्रकरणों में प्रतिपूर्ति, संबंधित पाठ्यक्रम की अवधि में वार्षिक समान किश्तों में की जायेगी।

6. **छात्रवृत्ति का नवीनीकरण** : किसी पाठ्यक्रम के लिये छात्रवृत्ति का आगामी शैक्षणिक वर्ष/सत्र के लिये नवीनीकरण करने के लिये यह आवश्यक होगा कि विद्यार्थी ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र की परीक्षाओं में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किये हों ।

7. **छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन** : इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, जिस जिले में उक्त शिक्षण संस्थान स्थित है, उस जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास को प्रस्तुत करना होगा ।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना (उच्च शिक्षा के लिये)

आवेदन पत्र का प्रारूप

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन का सरल क्रमांक	वर्ष	पाठ्यक्रम	अनुमोदित अथवा निरस्त

आवेदक अपना स्व सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटो यहॉं चस्पॉ करें

भाग–1
[आवेदक द्वारा भरा जावे.]

अ. प्रथम /नवीनीकरण	

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

उपनाम																					
प्रथम नाम																					

2. पिता का नाम

3. माता का नाम

4. पत्र व्यवहार के लिए पताः

नाम																			
मकान नंबर																			
मोहल्ला / स्ट्रीट/																			
शहर / नगर / गांव और पोस्ट ऑफिस																			
जिला																			
राज्य																			
पिन कोड																			
दूरभाष क्रमांक एवं मोबाइल नंबर (यदि कोई हो.)																			
ई मेल पता, यदि कोई हो.																			

5. स्थायी निवास का पताः

नाम																			
मकान नंबर																			
मोहल्ला / स्ट्रीट																			
शहर / नगर / गांव और पोस्ट ऑफिस																			
जिला																			
राज्य																			
पिन कोड																			
दूरभाष क्रमांक एवं मोबाइल नंबर (यदि कोई हो.)																			
ई मेल पता, यदि कोई हो.																			

6. **लिंग:** पुरूष ☐ महिला ☐

7. **श्रेणी:** अ.जा ☐ अ.ज.जा ☐ अ.पि.व. ☐ अल्पसंख्यक ☐ अन्य ☐

8. जन्म तिथि (कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें)

दिनांक			माह			वर्ष			
D	D		M	M		Y	Y	Y	Y

9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण (दसवीं कक्षा के आगे)

(कृपया राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)

;नवीनतम परीक्षा का पहले उल्लेख करें)

उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम	परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय / बोर्ड / संस्थान/काउंसिल का नाम	प्रमुख विषय	उत्तीर्ण करनें का वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत/ग्रेड

10. **पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया जा रहा हैः:**

(i) पाठ्यक्रम का नाम:

(ii) पाठ्यक्रम की अवधि:

(iii) शैक्षणिक वर्ष:

(iv) कक्षा जिसमें आखिरी बार प्रवेश लिया तथा शैक्षणिक वर्षः

(v) अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंको का प्रतिशत अथवा ग्रेडः

11. **महाविद्यालय/ संस्थान का विवरण (आवासीय शामिल करते हुयें):**

(i) महाविद्यालय/संस्थान का नाम जहॉ प्रवेश लिया है:

(ii) महाविद्यालय/संस्थान का पता:

12. यदि अन्य छात्रवृत्ति का लाभ आवेदक द्वारा लिया गया है/लिया जा रहा है, तो विवरण दें –

----

13. **छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिएः–**

(कृपया राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)

उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत/ग्रेड

14. कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क: ₹ . ...

15. लाभ जो प्राप्त करना प्रस्तावित हैं**:-**

(1) छात्रवृत्ति -

क. इस योजना में पात्र राशि --

ख. घटाईये– अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की जा रही छात्रवृत्ति ------------------------

शुद्ध पात्रता---

(2) शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति -

अ. संस्था का वार्षिक शिक्षण शुल्क जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है ---------

ब. उसी पाठ्यक्रम के लिये शासकीय संस्था का वार्षिक शिक्षण शुल्क ----------

वापसी योग्य शिक्षण शुल्क -

16. **आवेदक के बैक खाते का विवरण :**

(i) बैंक का नाम –

(ii) बैक शाखा (पूरा पता)____

____

(iii) बैक खाता क्रमांक ____

(शब्दों मे)____

17. **आय और स्थायी निवासी प्रमाण पत्रः**

आवेदक के अभिभावक / संरक्षक की वार्षिक आय और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो निर्धारित प्रारूप में हो और तहसीलदार (राजस्व) द्वारा हस्ताक्षरित हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।

18. **दस्तावेज जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जावें –**

(i) स्वयं सत्यापित पासपोर्ट आकार का हस्ताक्षरित फोटो.

(ii) उपरोक्त कंडिका क्रमांक 17 के अनुसार आय और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

(iii) गत वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्ति की अभीस्वीकृति जो महाविद्यालय/संस्थान प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(iv) यदि आवेदन शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये है, तो "गरीबी रेखा से नीचे" होने का विहित प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।.

19. **घोषणा:**

(i) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

(ii) मैं किसी अन्य स्रोत से इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा/कर रहा हूँ जैसा कि कंडिका क्रमांक 12 में वर्णित है।.

(iii) मैं छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए निर्धारित नियम और शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी।

(iv) मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि छात्रवृति स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी गलत है अथवा यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति संबंधी नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन किया गया है, तो मुझे स्वीकृत छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति की संपूर्ण राशि मेरे द्वारा वापिस की जायेगी । इसके अतिरिक्त मेरे विरूद्व पृथक से विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी ।

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान:

भाग–2

[महाविद्यालय / संस्थान प्रमुख द्वारा भरा जाये.]

20. **महाविद्यालय / संस्थान का विवरण (आवासीय सहित):**

(अ) महाविद्यालय / संस्थान का नाम जहॉ आवेदक द्वारा प्रवेश लिया गया है:

(ब) महाविद्यालय / संस्थान का पता:

(स) दूरभाष क्रमांक:

(द) फेक्स क्रमांक:

(इ) ई मेल पता:

(फ) महाविद्यालय / संस्थान यदि निजी / गैर सरकारी है तो मान्यता प्रदान करने वाले प्राधिकारी का नाम

21. **महाविद्यालय / संस्थान के प्रमुख द्वारा जानकारी का सत्यापन.**

(अ) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री ____________________ `पुत्र / पुत्री ____________________ के द्वारा उपर्युक्त कॉलमों में दी गई जानकारी की पूर्ति की गई है तथा उनके द्वारा ______________ महाविद्यालय / संस्थान में __________ पाठ्यक्रम के अन्तर्गत __________ अकादमिक सत्र के लिये प्रवेश लिया है।

(ब) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री ____________________ ने महाविद्यालय / संस्थान में अकादमिक सत्र में नवीन प्रवेश लिया है।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री ____________________ को महाविद्यालय / संस्थान में अकादमिक सत्र ________ में ________ से ________ मे प्रोन्नत किया गया है।

(स) योजना के अनुसार चाही गई राशि (छात्र / छात्रा द्वारा किये गये दावे के अनुसार अथवा योजना के अनुसार स्वीकार्य योग्य) ₹ ______________

22. **महाविद्यालय / संस्थान के बैक खाते का विवरण (शिक्षण शुल्क जमा करने हेतु)**

(अ) आदाता का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दर्ज है)

(ब) बैक का नाम ______________ ________________

(स) बैक की शाखा (पूर्ण पता) ______________ ________________ .

राज्य ________ जिला ________ पिन कोड ________

(द) बैक खाता क्रमांक ____________________

(शब्दों में) __________________________________

दिनांक: महाविद्यालय / संस्थान प्रमुख के

स्थान: हस्ताक्षर (अधिकारिक मुद्रा सहित)